न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 23/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/243

अपीलाण्ट्स :-

1. मृतक मोडाराम पुत्र श्री मूलाजी, जाति बावरी के विधिक वारिशान :-
   1/1. ओमाराम पुत्र मोडाराम
   1/2. गंगाराम पुत्र मोडाराम
   1/3. रमेश पुत्र मोडाराम
   1/4. अर्जुनराम पुत्र मोडाराम
   1/5. महेन्द्र पुत्र मोडाराम
   1/6. लक्ष्मी पुत्री मोडाराम
   1/7. जेठकी पुत्री श्री मोडाराम
   1/8. पुसीया पुत्री श्री मोडाराम
   1/9. चम्पा बेवा मोडाराम,
   जातिगण बेवा मोडारामजी, जातिगण बावरी निवासीगण लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-

1. तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।
2. शान्तिदेवी पत्नी श्री जगाराम कौम बावरी, साकिन लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

जिला कलेक्टर, पाली

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 20.05.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नायब तहसीलदार पाली के आदेश दिनांक 14.12.1993 को ग्राम लाम्बिया के नामान्तरकरण संख्या 484 को स्वीकृत किया, उस आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व दौराने बहस कथन किया कि मौजा ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 10 रकबा 80 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 9 रकबा 1 बिस्वा कुल खसरान् 03 कुल रकबा 81 बीघा 1 बिस्वा अपीलाण्ट के पिता मोडाराम पुत्र मूलाराम तथा मानीया पुत्र पनीया के नाम की

खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि स्थित है। जैर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में मोडाराम के द्वारा 20 बीघा भूमि शान्ति देवी पत्नी जगाराम के नाम 40 बीघा भूमि विक्रीत करना प्रकट किया है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी तरफ से तरमीम एवं कब्जा संबंधी रिपोर्ट करने का आदेश पारित कर दिया और हल्का पटवारी ने मूल खसरा संख्या 10 के तरमीम संख्या अंकित कर दिये। शान्ति देवी के पक्ष में खसरा संख्या 10/1 रकबा 20 बीघा तथा अपीलाण्ट के पिता के नाम खसरा संख्या 10/2 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा तथा मानीया पनीया के नाम खसरा संख्या 10 लिखते हुए 40 बीघा 4 बिस्वा लिखा तथा खसरा संख्या 12 व 9 को पूर्व में जो खाता था, उसी प्रविष्टि मोडा पुत्र मूला, मानीया पुत्र पनीया के नाम यथावत रखी। अपीलाण्ट का कथन यह है कि सहायक कलक्टर पाली या भूमिधारी तहसील पाली के समक्ष वैधानिक रूप से बंटवाड़ा नहीं हो जाता, तब तक खाते को अलग-अलग करने का न तो नायब तहसीलदार को ऐसा अधिकार था, न ही राजस्व निरीक्षक अपनी तरफ से तरमीम व कब्जा संबंधी रिपोर्ट करने के आदेश करने संबंधी अधिकृत था, ऐसी सूरत में इस तरह के तरमीम करके जो बट्टे संख्या डाले है वो विधि विरूद्ध है और जैर नामान्तरकरण की प्रविष्टि अवैध एवं अनाधिकार पूर्ण होने से काबिले खारिज है। अपीलाण्ट का कथन यह भी है कि सेटलमेण्ट की गलती से मानीया पुत्र पनीया लिखा है जबकि मानीया की जगह मूलीया पुत्र पनीया होना चाहिये था, जिसके दूरस्ती हेतु सहायक कलक्टर, पाली के यहां वाद विचाराधीन है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण संख्या 484 दिनांक 14.12.1993 को स्वीकृत हुआ यानि उक्त अपील लगभग 28 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई है जो कि पूर्णतया मियाद बाहर है। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने कथन किया कि जैर आराजी का क्रय अपीलाण्ट के पिता द्वारा जरिये पंजीबद्ध किया गया था व जब तक अपीलाण्ट के पिता जीवित थे तब तक उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी इस बाबत् अपनी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की व अब लगभग 28 दर्ष बाद उनके वारिशान् द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिज है। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 का दौराने बहस यह कथन भी रहा कि जैर अपील में विवादित नामान्तरकरण में दर्ज सभी प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे जैर अपील असंगत पक्षकार बनाये जाने के कारण काबिले खारिज है। रेस्पो. का यह कथन भी रहा कि किसी न्यायालय में केवल वाद प्रस्तुत कर देने से ही किसी के हक अधिकार तय नहीं हो जाते है। अतः अपील-अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम एवं शपथ-पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलाण्ट के पिता/पूर्वज द्वारा जैर आराजी में से 20 बीघा भूमि रेस्पो. संख्या 02 शान्ति देवी को विक्रय किया गया तथा उस विक्रय में शान्ति देवी को मोडा राम के साथ सह खातेदार घोषित करना चाहिए था

परन्तु पटवारी ने मूल खसरा संख्या 10 के तरमीम संख्या अंकित कर रैस्पो. संख्या 02 के नाम आराजी संख्या 10/1 रकबा 20 बीघा दर्ज कर दिया तथा आराजी संख्या 10 के अन्य 02 टुकड़े 10/2 व 10 कर के उसे अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया। यह कार्य बिना विधिवत बंटवारे के अंकित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमो के क्रम संख्या 06 में यह भी अंकित किया है कि इस बाबत् सहायक कलक्टर पाली के यहां दावा भी चल रहा है। यह स्पष्ट है कि जब अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है तो उक्त वाद में ही उसे नामान्तरकरण की अपील में किये गये इस अनुतोष को प्राप्त करना चाहिए व उक्त वाद की प्रति भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। अतएव उक्त वाद में क्या अनुतोष चाहा-गया है यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्ष 1993 में स्वीकृत मोकाराम के समय के करीब 30 वर्ष पुराने इस नामान्तरकरण के बाबत् सहायक कलक्टर के यहां वाद भी चल रहा है तो उसे नामान्तरकरण की फौरी वित्तीय प्रक्रिया के तहत निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चल रहे वाद में उचित अनुतोष प्राप्त करने को स्वतंत्र है। अतः अपील-अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली